न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./1708/2004/उदयपुर

1– बंशीलाल पुत्र देवा (मृतक) जरिये वारिसान :–
1/1. भगवानी बाई पत्नी स्व0 बंशीलाल
1/2. भगवती लाल पुत्र बंशीलाल
1/3. बाबूलाल पुत्र बंशीलाल
1/4. जमना पुत्री बंशीलाल
2– मीठालाल पुत्र देवा
3– चुन्नीलाल पुत्र देवा
समस्त जाति खटीक निवासी वरनी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।
4– श्रीमती बरदीबाई चांदू
5– श्रीमती कंकूबाई पत्नी लालू
6– श्रीमती मोहनी बाई पत्नी मोहन
समस्त जाति खटीक निवसी मंगलवाड़ तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– शंकर पुत्र भैरा
2– नारू पुत्र भैरा
3– रूपा पुत्र भैरा (मृतक) जरिये वारिसान :–
3/1. भग्गा पुत्र रूपा
3/2. देवा पुत्र रूपा
3/3. लक्ष्मण पुत्र रूपा
3/4. सुरेश पुत्र रूपा
3/5. मांगू पुत्र रूपा
3/6. हुड्डीबाई पत्नी रूपा
3/7. माणा पुत्र भैरा
समस्त जाति भील निवासी वरनी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।
5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, वल्लभनगर जिला उदयपुर।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ

श्री सी0आर0 मीना, सदस्य
श्री खजान सिंह, सदस्य

उपस्थितः

श्री अजीत सिंह राठौड़ अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री उत्तम प्रकाश आमेटा अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

––––

निर्णय

दिनांकः 05 मई, 2022

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 253/2001 में पारित निर्णय दिनांक 23–03–2004 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण के पूर्वज देवा खटीक द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4/ प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद उप जिला कलक्टर, वल्लभनगर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि मौजा वरनी तहसील वल्लभनगर की आराजी खसरा नंबर 323, 325 326 कुल 3 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 324 रकबा 5 बिस्वा एवं खसरा नंबर 327 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा कुल रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा वादी देवा के पिता के समय से उनकी खातेदारी की होकर उनका कब्जा काश्त चला आ रहा था। परन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि प्रतिवादीगण के पिता भैरा भील के नाम दर्ज हो गई तथा भैरा भील का करीब डेढ़ वर्ष पूर्व देहान्त हो गया। विवादित आराजी को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर वादी ने अपने हक में कराने के लिए भैरा के वारिसान प्रतिवादीगण को कहा परन्तु वे टालमटोल होकर आखिर इन्कार हो गये। अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम खातेदारी दर्ज की जावे। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब में कहा गया कि भूमि उनके पिता भैरा की खातेदारी की है। उनके पिता भैरा भील का नाम शिकमी काश्तकार के रूप में राजस्व रिकार्ड में उनकी खातेदारी में दर्ज है। अतः वाद वादी खारिज फरमाया जावे। तत्पश्चात् दिनांक 03–5–1983 को राजीनामा कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सीपीसी का परीक्षण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया कि विवादित भूमि वादी के कब्जे काश्त में निरन्तर चली आ रही है। गलती से प्रतिवादीगण के पिता भैरा के नाम खातेदारी में दर्ज हो गई। अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमि की खातेदारी वादी के नाम दर्ज रिकार्ड की जावे। प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन करने पर परीक्षण न्यायालय ने यह पाया कि वादीगण अनुसूचित जाति के हैं तथा प्रतिवादीगण अनुसूचित जन जाति के है। इसलिए अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि किसी अनुसूचित जन–जाति के व्यक्ति को हस्तांतरति नहीं की जा सकती इसलिए उन्होंने राजीनामा निरस्त कर दिया। उसके पश्चात् प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। परीक्षण न्यायालय ने एकपक्षीय बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 05–8–1985 द्वारा वाद वादी डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के समक्ष प्रथम अपील संख्या 274/1986 दिनांक 21–8–1985 को पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 21–8–1985 द्वारा अपील मियाद बाहर पाते हुए अपील मियाद के बिन्दु पर ही अपने निर्णय दिनांक 10–1–1987 से खारिज कर दी। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 शंकर वगै0 ने न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष निगरानी याचिका संख्या 18/95/टी.ए. पेश की, जो दिनांक 08–8–1995 को

स्वीकार कर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर का निर्णय दिनांक 10–12–1987 एवं उप जिला कलक्टर, वल्लभनगर जिला उदयपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 05–8–1985 निरस्त कर दिये। मण्डल द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 08–8–1995 के विरूद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष ही नजरसानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो मण्डल द्वारा स्वीकार कर निगरानी संख्या 56/1998 को पुनः नम्बर पर सुनवाई हेतु नियत किया गया। इसके पश्चात मण्डल की एकलपीठ ने ही अपने निर्णय दिनांक 13–9–2001 द्वारा निगरानी स्वीकार कर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के निर्णय दिनांक 10–12–87 अपास्त कर प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित किया कि दोनों पक्षों की सुनवाई की जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

3– इसके पश्चात् भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर ने मण्डल द्वारा प्राप्त प्रकरण अपील संख्या 253/2001 पुनः दर्ज रजिस्टर कर उभय पक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए अपने निर्णय दिनांक 23–03–2004 द्वारा अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05–8–1985 निरस्त कर प्रकरण उप जिला कलक्टर, वल्लभनगर को निर्देशों सहित प्रतिप्रेषित कर दिया। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस खण्डपीठ के समक्ष पेश की गई है।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बिन्दु पर निर्णय पारित किया था जिस पर राजस्व मण्डल ने प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर पारित करने के लिए रिमाण्ड किया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण के बिन्दु का अछूता रखते हुए प्रकरण पुनः जांच के लिए परीक्षण न्यायालय को रिमाण्ड किया है, जो कि उचित निर्णय नहीं है। यदि राजस्व मण्डल को प्रकरण पुनः जांच के लिए भेजना था तो वह अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड नहीं कर परीक्षण न्यायालय को रिमाण्ड करती। परीक्षण न्यायालय ने चूंकि तनकीवार निर्णय पारित किया है, इसलिए परीक्षण न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय को ही गुणावगुण के आधार पर निर्णय करना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल के आदेश की पालना नहीं की जो सही नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय निर्णय 23–03–2004 निरस्त फरमाया जावे तथा राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा निगरानी संख्या 56/98 में पारित निर्णय दिनांक 13–9–2001 की पालना में गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर को निर्देशित किया जावे। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने ए.आई.आर. 1997 (एम.पी.) 90, 2018 (25) आर.बी.जे. (एच.सी.) 81, 2020 (27) आर.बी.जे. 51, 1998 (5) आर.बी.जे. 137, 1998 आर.आर.डी. 86, 1974 आर.आर.डी. 11, आर.एल.डब्ल्यू 2003 (3) (राज.) 1891 –बी (एच.सी.), 2017 (24) आर.बी.जे. 386 (एस.सी.) तथा 1999 आर.आर.डी. 52 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

5– प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर ने अपने निर्णय दिनांक

23–03–2004 द्वारा प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों की नये सिरे जांच करने की आवश्यकता समझते हुए प्रकरण परीक्षण न्यायालय को रिमाण्ड किया है जिसमें दोनों पक्षकारों की सुनवाई व साक्ष्य को अवसर देकर विधिवत निर्णय किया जाना है। अधीनस्थ न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः अपील खारिज की जाकर न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23–03–2004 बहाल रखा जावे।

6– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया।

7– पत्रावली का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि प्रस्तुत अपील में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि न्यायालय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 13–9–2001 द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर को प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया था कि वे प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित करें परन्तु न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदुयपुर ने अपील को पुनः नम्बर पर लेकर अपने निर्णय दिनांक 23–03–2004 से अपील का गुणावगुण पर निर्णित नहीं किया है तथा परीक्षण न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर प्रकरण उन्हें प्रतिवादी की साक्ष्य लेकर पुनः निर्णय करने के लिए रिमाण्ड किया है।

8– यह सही है कि न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर ने प्रकरण का अपने स्तर से गुणावगुण पर निर्णय नहीं किया है। परन्तु इस प्रकरण में यह भी सही है परीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद वादीगण एकपक्षीय बहस सुनकर निर्णय दिनांक 05–8–1985 डिक्री किया है। परीक्षण न्यायालय ने केवल वादी की साक्ष्य के आधार पर ही तनकीयात बनाई जिसमें से एक तनकी का भार प्रतिवादी पर होने के कारण उसका निस्तारण भी नहीं किया गया है।

9– इन सभी तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिवादी को साक्ष्य का अवसर देते हुए पुनः दोनों पक्षों की सुनवाई कर नये सिरे से निर्णय पारित करने के लिए रिमाण्ड किया है।

10– जहां तक राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–9–2001 द्वारा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर पारित करने की पालना का सवाल है। राजस्व मण्डल ने केवल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज करने को देखते हुए उन्होंनें प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय पारित करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया था।

11– हमारे विनम्र मत में चूंकि परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे हैं उनकी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई है। इसलिए इन सभी तथ्यों को देखते हुए प्रकरण परीक्षण न्यायालय के स्तर पर ही पुनः विधिवत जांच कर पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिवत है जिसमें हस्तक्षेप किये जाने की हम आवश्यकता नहीं समझते हैं।

12– परिणामतः अपील खारिज की जाती है तथा न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर का निर्णय दिनांक 23–03–2004 बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(खजान सिंह)
सदस्य

(सी0आर0मीना)
सदस्य